



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 314 राँची, मंगलवार,

9 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

25 मई, 2026

आदेश सं0-03/आरोप-11-55/2025 का०-3459--श्री मनोज कुमार मराण्डी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-112/25), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरटांड के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-2038, दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में अनियमितता, अपेक्षित निगरानी एवं पर्यवेक्षण का घोर अभाव, कार्य के प्रति लापरवाही, गलत मंशा, अवैध निकासी एवं राजकोष के अपव्यय संबंधी आरोप में इनसे स्पष्टीकरण की माँग करते हुए प्रतिलिपि विभाग को दी गई।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-117, दिनांक 07.01.2026 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से श्री मराण्डी के विरुद्ध यदि आरोप स्पष्ट हो तो आरोपों को विहित प्रपत्र में आरोप पत्र में गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-858/जि०ग्रा०वि०, दिनांक 21.04.2026 द्वारा श्री मनोज कुमार मराण्डी के विरुद्ध आरोप के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि विभागीय पत्रांक-816, दिनांक 22.02.2023 में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में श्री मराण्डी, झा०प्र०से० द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पीरटांड प्रखण्ड में योगदान के उपरांत उक्त योजना को कोरोगेट शीट से पूर्ण कराया गया। ऐसी स्थिति में श्री मराण्डी के विरुद्ध आरोप स्पष्ट नहीं होता है।

अतः उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री मनोज कुमार मराण्डी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-112/25), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरटांड से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

चिन्टू दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त संचिव ।
